संख्या-95/2016/1963/35-3-2016-1(16)/2016

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 15 सितम्बर, 2016**

विषय: शासनादेश संख्या-65/2016/1782/35-3-2016-1(16) /2016 दिनांक: 22 अगस्त, 2016 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 471/बी.ए.डी.पी./2016-17 दिनांक: 24 अगस्त,2016 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-65/2016/1782/35-3-2016-1(16)/2016 दिनांक: 22 अगस्त, 2016 की तालिका के क्रमांक-2 पर उल्लिखित कार्य **ग्राम खैरनियां की आन्तरिक गलियों मे सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण** के स्थान **पर ग्राम खमरिया की आन्तरिक गलियों मे सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण** पढ़ा जायेगा।

सन्दर्भित शासनादेश संख्या-65/2016/1782/35-3-2016-1(16)/2016 दिनांक: 22 अगस्त, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-95/2016/1963(1)/35-3-2016-1(16)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज / समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, बहराइच ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।